

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग, भोपाल
मध्य प्रदेश की वितरण कंपनियों द्वारा प्राप्त अनुपालन मानदण्डों की वर्ष 2016-17 के दौरान
उपलब्धियों का प्रकाशन

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 59 (2) के अनुसार राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित कार्य विधि के मानदण्डों की वितरण अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा वर्ष 2016-17 के दौरान प्राप्त अनुपालन के स्तर तथा ऐसे प्रकरणों की जानकारी जिनमें वितरण अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा मानदण्ड प्राप्त नहीं किये जा सके हों, को प्रकाशित किया जाना प्रस्तावित है। आयोग द्वारा अधिसूचित म.प्र.विद्युत नियामक आयोग (वितरण अनुपालन मानदण्ड) (द्वितीय पुनरीक्षण) विनियम, 2012 के द्वारा निर्धारित मानदण्ड निम्नानुसार है।

(क) आयोग द्वारा निम्नलिखित प्रत्याभूतित मानदण्ड निर्धारित किए हैं :

1. खराब/जले हुए ट्रांसफार्मर बदलने बाबत : (i) संभागीय मुख्यालयों में 12 घंटों के अन्दर
(ii) संभागीय मुख्यालयों को छोड़कर शहरी क्षेत्र में 24 घंटों के अन्दर
(iii) ग्रामीण क्षेत्रों में सूखे मौसम में 72 घंटों के अंदर तथा मानसून के मौसम में (माह जुलाई से सितम्बर तक) 7 दिवस के अन्दर
2. लाइन ब्रेकडाउन को ठीक करना : (i) शहरों में दिन की रोशनी के 12 घंटों के अन्दर
(ii) ग्रामीण क्षेत्र में 3 दिवस के अन्दर
3. फ्यूज़ सुधारना : (i) शहरों में कार्य दिवसों में 4 घंटों के अन्दर तथा अन्य दिवसों में 5 घंटों के अन्दर
(ii) गाँव में 24 घंटे के अन्दर
4. प्रदाय में पूर्व निर्धारित रूकावट : एक बार में लगातार 8 घंटे से अधिक नहीं
5. (अ) खराब मीटरों की जांच : शिकायत के 7 दिन के भीतर
(ब) खराब व बंद मीटरों का बदलना : (i) शहरों में 15 दिन के भीतर
(ii) गाँव में 30 दिन के भीतर
(स) जले हुए मीटरों का बदलना : शिकायत के 7 दिन के भीतर
6. नये कनेक्शन देना
निम्ब दाब पर : आवेदन के 30 दिन के भीतर यदि कनेक्शन देने में किसी प्रकार का विस्तार कार्य नहीं होना हो।

7. कनेक्शन का नामांतरण : 10 दिन के भीतर

8. बिजली के गलत बिलों में सुधार : (i) 1 दिन के भीतर यदि कोई अतिरिक्त जानकारी आवश्यक न हो
(ii) शहर में 5 दिन के भीतर एवं गाँव में 10 दिन के भीतर यदि अतिरिक्त जानकारी लेना आवश्यक हो

(ख) तीनों विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा आयोग को दी गई जानकारी के अनुसार उपभोक्ता सेवाओं में अनुपालन स्तर वर्ष 2016-17 में निम्न अनुसार रहा है :-

क्र.	उपभोक्ता सेवा एवं निर्धारित अनुपालन के समग्र मापदण्ड (प्रतिशत में)	विनिमय में निर्धारित समय-सीमा के भीतर सेवा पूर्ण होने वाले प्रकरणों का प्रतिशत		
		पश्चिम क्षेत्र कंपनी	मध्य क्षेत्र कंपनी	पूर्व क्षेत्र कंपनी
1.	फ्यूज को समय-सीमा में सुधारना (95%)	शहरी क्षेत्र - 100 % ग्रामीण क्षेत्र - 100 %	शहरी क्षेत्र - 99.99 % ग्रामीण क्षेत्र - 99.92 %	शहरी क्षेत्र - 100 % ग्रामीण क्षेत्र - 100 %
2.	लाइन ब्रेकडाउन को समय-सीमा में ठीक करना (95%)	शहरी क्षेत्र - 100 % ग्रामीण क्षेत्र - 100 %	शहरी क्षेत्र - 100 % ग्रामीण क्षेत्र - 100 %	शहरी क्षेत्र - 100 % ग्रामीण क्षेत्र - 100%
3.	खराब/जले हुए ट्रांसफार्मर समय-सीमा में बदलना	शहरी क्षेत्र - 100 % ग्रामीण क्षेत्र - 100 %	शहरी क्षेत्र - 95.00 % ग्रामीण क्षेत्र - 91.35 %	ग्रामीण क्षेत्र - 100 % ग्रामीण क्षेत्र - 100 %
4.	खराब एवं जले मीटरों की समय-सीमा में जांच कर बदलना (शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लिये 99.5% एवं 98%)	शहरी क्षेत्र - 100 % ग्रामीण क्षेत्र - 100 %	शहरी क्षेत्र - 100 % ग्रामीण क्षेत्र - 100 %	शहरी क्षेत्र - 100 % ग्रामीण क्षेत्र - 100 %
5.	निम्ब दाब पर समय-सीमा में नये कनेक्शन देना (100%)	शहरी क्षेत्र - 100 % ग्रामीण क्षेत्र - 100 %	ग्रामीण क्षेत्र - 100 % ग्रामीण क्षेत्र - 100 %	ग्रामीण क्षेत्र - 100 % ग्रामीण क्षेत्र - 100 %
6.	कनेक्शन का समय-सीमा में नामांतरण (98%)	शहरी क्षेत्र - 100 % ग्रामीण क्षेत्र - 100 %	शहरी क्षेत्र - 100 % ग्रामीण क्षेत्र - 100 %	शहरी क्षेत्र - 100 % ग्रामीण क्षेत्र - 100 %
7.	बिजली के गलत बिलों का समय-सीमा में सुधार करना (99%)	शहरी क्षेत्र - 100 % ग्रामीण क्षेत्र - 100 %	शहरी क्षेत्र - 100 % ग्रामीण क्षेत्र - 100 %	ग्रामीण क्षेत्र - 100 % ग्रामीण क्षेत्र - 100 %
8.	विद्युत कनेक्शन कटने के बाद समय-सीमा में पुनः जोड़ना	शहरी क्षेत्र - 100 % ग्रामीण क्षेत्र - 100 %	शहरी क्षेत्र - 100 % ग्रामीण क्षेत्र - 100 %	शहरी क्षेत्र - 100 % ग्रामीण क्षेत्र - 100 %

(ग) विद्युत प्रदाय प्रणाली की विश्वसनीयता:

आयोग द्वारा संभागीय मुख्यालयों, जिला मुख्यालयों एवं औद्योगिक विकास केन्द्रों के लिए 11 के. व्ही. संभरको (फीडर) का न्यूनतम संभरक विश्वसनीयता सूचकांक (Feeder Reliability Index) प्रतिशत में क्रमशः 99.5%, 98% एवं 99.5% निर्धारित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2016-17 में संभरक विश्वसनीयता सूचकांक (Feeder Reliability Index) निम्नानुसार रहा।

<u>संभागीय मुख्यालय</u>	<u>फीडर विश्वसनीयता (औसत प्रतिमाह) सूचकांक</u>
जबलपुर	99.57%
सागर	99.58%
रीवा	99.35%
भोपाल	99.57%
ग्वालियर	99.80%
होशंगाबाद	99.15%
मुरैना	99.27%
इन्दौर	99.42%
उज्जैन	99.08%
शहडोल	98.02%

<u>जिला मुख्यालय</u>	<u>फीडर विश्वसनीयता (औसत प्रतिमाह) सूचकांक</u>
सिवनी	99.54%
छिंदवाड़ा	99.83%
नरसिंहपुर	99.35%
कटनी	99.96%
मण्डला	99.89%
डिण्डोरी	99.90%
बालाघाट	99.74%
छतरपुर	99.18%
दमोह	98.45%
टीकमगढ़	99.62%
पन्ना	99.35%
सतना	98.42%
सीधी	98.26%
उमरिया	98.90%
अनूपपुर	98.39%
वैढन	99.42%
विदिशा	99.55%
सीहोर	98.42%
राजगढ़	99.26%
हरदा	98.96%
बैतूल	99.11%
रायसेन	99.09%
अशोकनगर	98.97%
गुना	98.75%

भिण्ड	98.71%
शयोपुर	99.14%
दतिया	99.77%
शिवपुरी	98.28%
खण्डवा	98.54%
बुरहानपुर	99.12.%
खरगौन	98.94%
धार	98.77%
झाबुआ	97.74%
बड़वानी	98.63%
देवास	98.59%
शाजापुर	98.41%
आगर	98.83%
रतलाम	99.01%
मंदसौर	99.01%
नीमच	98.83%
अलीराजपुर	97.35%

ओद्योगिक केन्द्र / क्षेत्र

फीडर विश्वसनीयता (औसत प्रतिमाह) सूचकांक

मण्डीदीप	99.96%
गोविन्दपुरा	99.53%
मालनपुर	99.44%
बामोर	100.00%
बोरेगांव	99.82%
मनेरी	99.91%
पीथमपुर	99.53%
चनाटोरिया	99.35%

टीप :-उपरोक्त जानकारी विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा उपलब्ध कराये गये अनुसार है।

(शैलेन्द्र सक्सेना)
सचिव